

भारत सरकार
मनव एवं मानव संसाधन मंत्रालय
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
संख्या: डी0ओ0 17-1/2004-सी0डब्लू दिनांक: 8 जून, 2004.
(हिन्दी अनुवाद)

विशिष्ट उपलब्धि हेतु राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

प्रस्तावना:

बाल कल्याण एवं विकास के लिए विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों के लिए भारत सरकार समय समय पर पुरस्कार स्थापित करती आयी है। अपनी जान जोखिम में डालकर आदर्शपूर्ण साहसिक कार्य करने वाले बालकों के लिए भी पुरस्कार स्थापित किये गये हैं।

विभाग द्वारा विशिष्ट योग्यता रखने वाले एवं ऐसे बालकों हेतु पुरस्कार स्थापित करने पर विचार किया गया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों, जैसे विद्या, कला, संस्कृति एवं क्रीडा आदि के अन्तर्गत उत्कृष्ट स्तर स्थापित किया हो।

यह पुरस्कार विशिष्ट उपलब्धि हेतु राष्ट्रीय बाल पुरस्कार नाम से जाना जाएगा।

आयुवर्ग

इस पुरस्कार के लिए 04 से 15 वर्ष के ऐसे बालक, जिन्होंने विद्या, कला, संस्कृति एवं क्रीडा आदि क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की हो अर्ह होंगे।
प्रत्येक वर्ष 01 स्वर्ण और 35 रजत पदक (एक प्रत्येक राज्य/केन्द्र-शासित प्रदेश को) प्रदान किये जायेंगे।

पुरस्कार का प्रकार

विशिष्ट उपलब्धि हेतु राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में सम्मिलित होंगे:-

(क) स्वर्ण पदक -1(एक)

1. रू0 20,000/- (रूपये बीस हजार) का एक नगद पुरस्कार
2. एक प्रमाण पत्र
3. एक स्वर्ण पदक

(ख) रजत पदक -35 (पैंतीस)

1. प्रत्येक पुरस्कृत बालक को रू0 10000/-/- (रूपये दस हजार) की नगद धनराशी
2. प्रत्येक पुरस्कृत बालक के लिए एक प्रमाण पत्र
3. प्रत्येक पुरस्कृत बालक के लिए एक रजत पदक

चयन समिति

विभिन्न संस्थाओं द्वारा संस्तुत प्रकरणों में से राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा चयन किया जाएगा।

राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्यों की सूची:-

(1) माननीय राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग	अध्यक्ष
(2) सचिव, महिला एवं बाल विकास	सदस्य
(3) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(4) सचिव, शिक्षा विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(5) सचिव, संस्कृति विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(6) सचिव, युवा मामले एवं क्रीडा अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(7) संयुक्त सचिव (एन0सी0डी0), महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
(8) निदेशक (सी0डब्लू0), महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य-सचिव

संस्तुति देने हेतु प्राधिकृत संस्थायें / व्यक्ति

आवेदनपत्र की संस्तुति करने हेतु राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश स्तरीय विभाग, भारत सरकार के विभाग/जिला प्राधिकरण, स्थानीय सरकार (पंचायत, जिला-परिषद, नगर निगम आदि) विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, माननीय संसद/विधानसभा/विधान-परिषद के सदस्य एवं प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठन अधिकृत होंगे।

संस्तुति प्राप्त करने की अंतिम तिथि

पुरस्कार हेतु संस्तुत बालक का विवरण संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाय।

31 जुलाई के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

राष्ट्रीय चयन समिति राज्य सरकार / केन्द्र-शासित प्रदेश द्वारा संस्तुत बालक के अतिरिक्त, अपने विवेकानुसार, अन्य किसी बालक का नाम भी पुरस्कार हेतु चयन कर सकती है।

चयन के लिए मापदण्ड

- (1) चयन किए गए बालक द्वारा विद्या, कला, संस्कृति एवं क्रीडा आदि क्षेत्रों में अद्वितीय गुण अथवा विशिष्ट उपलब्धि का प्रदर्शन किया गया हो।
- (2) राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित आयु प्रमाण पत्र संलग्न होना अनिवार्य है।
- (3) विशिष्ट एवं विलक्षण बालक में विद्यमान गुण/विशेषतायें प्रेस में विज्ञापित हुए हों अथवा विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित किये गये हों। क्लेम/दावे के सम्बन्ध में वस्तुनिष्ठ परीक्षण सम्भव होना चाहिये।

पुरस्कार की तिथि

पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 14 नवम्बर को की जायेगी एवं वितरण नई दिल्ली में करने हेतु तिथि एवं समय, माननीय मंत्रीजी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सुविधानुसार निर्धारित किया जाएगा।

पुरस्कार बालक द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया जाएगा। बालक के अभिभावकों (अधिकतम संख्य दो) को यात्रा एवं दैनिक भत्ता महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा नियमानुसार दिया जाएगा।

प्रारूप

विशिष्ट उपलब्धि हेतु राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हेतु संस्तुत बालकों का विवरण

1. (1) नाम :

(2) जन्म तिथि (सत्यापित):

(3) जन्म स्थान:

(4) शैक्षिक योग्यता (प्रमाणपत्र सहित) :

(5) दूरभाष सं०:

(6) वर्तमान पता:

सत्यापित फोटो

2. किरा क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन किया है:

3. बालक की उपलब्धि किस प्रकार विशिष्ट है:

4. बालक के जीवन का संक्षिप्त विवरण/प्रेरा विज्ञप्ति एवं प्रमाण पत्र सहित:

5. संस्तुतकर्ता—(सरकार अथवा अन्य संस्थायें आदि का विस्तृत विवरण):

6. राज्य/केन्द्र-शासित प्रदेश की संस्तुति :